देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/PALM/06 E-Newsletter, Issued in Public Interest सोमवार, 2 दिसम्बर 2019

नकली शराब प्रकरण

जयपुर आबकारी के भ्रष्ट तंत्र की पुलिस ने खोली पोल!!

जयपुर कमिश्नरेट लगातार कर रहा है नकली शराब बनाने वालों पर कार्यवाही

जयपुर कमिश्नरेट द्वारा नशे के खिलाफ ओपरेशन क्लीन चला रखा है|जिसके तहत कार्यवाही करते हुए अवैध नशे का कारोबार करने वालों की कमर तोड़ रखी है|पुलिस द्वारा इस अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए बड़े अफीम,गांजे की खपत करने वालों के साथ नकली शराब बनाने वालों की भी धरपकड़ की है|

पत्रिका के सौजन्य से

सितंबर माह में नकली ढक्कनों के साथ पकड़ा तीन अभियुक्तों को

सितम्बर माह में चित्रकूट थाने द्वारा कार्यवाही करते हुए,महंगी शराब के भारी मात्रा में नकली ढक्कनों के साथ तीन अभियुक्तों युनुस खान,मोहम्मद शरीफ और फिरोज को गिरफ्तार किया था|आरोपियों से 1548 ब्रांडेड शराब के नकली ढक्कन बरामद किये गए थे|इन आरोपियों ने जयपुर के साथ झुंझुनूं,नवलगढ़,कोटा,बारां,उदयपुर,अजमेर,बीकानेर आदि क्षेत्रों में यह नकली शराब बेचने की बात कबुली थी|

नवम्बर में भी की बड़ी कार्यवाही,महंगे ब्रांड का लेबल लगा बना रहे थे नकली शराब

जयपुर कमिश्नरेट की CIU टीम ने हरमाड़ा के नींदड इलाके में नकली शराब के कारखाने पर कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों मानसिंह और महेश मीणा को गिरफ्तार किया था|इन आरोपियों ने गुजरात बार्डर और जयपुर के शराब ठेकों पर सप्लाई करना स्वीकार किया |इन आरोपियों से नकली शराब बनाने में

चित्रकूट क्षेत्र

महंगी ब्रांडेड शराब के 1548 नकली ढक्कन के साथ तीन गिरफ्तार

जयपुर @ पत्रिका. चित्रकूट नगर पुलिस ने महंगी ब्रांडेड अंग्रेजी शराब के भारी मात्रा में नकली ढक्कनों के साथ तीन जनों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी (वेस्ट) विकास शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी यूनुस खान (42) भट्ठाबस्ती, मोहम्मद शरीफ (28) नया जालूपुरा भट्ठा बस्ती और फिरोज (19) निवासी गांव सावरदा दूदू का रहने वाला है। आरोपियों से 1548 ब्राण्डेड शराब के नकली ढक्कन बरामद किए हैं। पुलिस मुख्य सरगना और ढक्कन बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में जानकारी जुटा रही है।

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि नकली ढक्कनों को जयपुर के साथ ही झुंझुनूं, नवलगढ़, कोटा, बारां, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर आदि में अंग्रेजी शराब की दुकान पर बेचते थे। सेल्समैन महंगी शराब को कम क्वालिटी की शराब में मिलाकर ढक्कन से दुबारा बोतल पैक कर देते। उन बोतलों को बेचकर अंग्रेजी शराब के लाइसेंसधारी व सेल्समैन मोटा मुनाफा कमा रहे थे।

पत्रिका Sun, 22 Sep epaper.patr

प्रयुक्त 700 लीटर स्प्रिट,64 कार्टून नकली देशी शराब,450 पव्वे अंग्रेजी शराब,एसेंस केमिकल की बोतल,पेकिंग मशीन,खाली ड्रम,10 हजार ढक्कन,7 हजार से ज्यादा अलग अलग ब्रांड की शराब के रैपर बरामद किये गए|यह अभियुक्त बहरोड़ स्थित ग्लोबस स्प्रिट लिमिटेड और गंगानगर शुगर मिल्स से शराब की बोतलों पर लगने वाले लेबल लाते थे|पुलिस यह भी जानकारी जुटाने में लगी है कि इतनी बड़ी मात्रा में यह अभियुक्त स्प्रिट कहाँ से लाये|

शराब: स्प्रिट का कर रहे थे इस्तेमाल

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. कमिश्नरेट की सीआइयू टीम ने हरमाड़ा के नींदड़ इलाके में नकली शराब के कारखाने पर कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी नींदड़ निवासी महेश कुमार मीणा और उदयपुरवाटी निवासी मानसिंह है। पुलिस ने मौके से अंग्रेजी व देसी शराब बरामद की है। आरोपियों ने बंद मुर्गी फार्म में कारखाना लगा रखा था।। नकली शराब को गुजरात से सटे स्थानों पर सप्लाई की जाती थी। सरगना मानसिंह करीब एक साल पहले जयपुर में काम कर रहा था। इससे पूछताछ की जा रही है।

यह माल बरामद

मौके से पुलिस ने 64 कार्टून नकली घूमर देसी शराब के पव्वे, 462 नकली अंग्रेजी शराब के पव्वे बरामद किए हैं। एक पीपी रंग, तीन बोतल एसेन्स कैमिकल, पैकिंग की मशीन, स्प्रिट से भरे व खाली जरिकेन, बड़ी मात्रा में रैपर, बोतल, ढक्कन भी पुलिस को मिले हैं।

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की 2 दिन के अंदर 5 बड़ी कार्रवाई

प्रॉफिट का पैग; महंगे ब्रांड का लेबल लगा फैक्ट्री में बन रही थी नकली शराब

कमाई का नशा... देशी पर ₹800 और अंग्रेजी पर ₹1000 कमाते थे

मिलावट के खिलाफ
ऑपरेशन क्लीन स्वीप

क्राइम रिपोर्टर | जयपुर

नकली शराब बनाकर गुजरात बॉर्डर से सटे ग्रामीण इलाकों और जयपुर के शराब ठेकों पर सप्लाई करने वाले दो तस्करों को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की सीआईयू टीम ने हरमाड़ा थाना पुलिस के साथ मिलकर दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी महेश कुमार मीणा नींदड़ हरमाड़ा और मानसिंह उदयपुरवाटी झुंझुनूं का रहने वाला है। वे मुर्गी फार्म की आड़ में बंद पड़े फार्म हाउस में नकली शराब बनाकर बेच रहे थे। आरोपी मानसिंह झुंझुनूं, बांसवाड़ा, उदयपुर और अहमदाबाद में नकली शराब बनाने का काम कर चुका है।

एडिशनल कमिश्नर अशोक गुप्ता ने बताया कि हैडकांस्टेबल पवन और कांस्टेबल अनिल कुमार को जयरामपुरा रोड मीणा कॉलोनी नींदड़ में एक फार्म हाउस में नकली शराब बनाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर सीआईयू टीम व हरमाड़ा थाना पुलिस ने मिलकर दबिश दी।

आरोपी मानसिंह हरियाणा और पानीपत से स्प्रिट लाकर महेश मीणा को देता था और वही नकली शराब बनाता था। आरोपी मानसिंह हत्या के आरोप में जेल भी जा चुका है। वह पिछले दस साल से शराब बनाने का काम कर रहा है और जयपुर में रहकर पिछले एक साल से महेश मीणा के साथ मिलकर नकली शराब बनाकर सप्लाई कर रहा था। आरोपी स्प्रिट, रैपर और खरीद-फरोख्त का बारदाना कहां से खरीदते थे और किन-किन लोगों को सप्लाई करते थे, इसकी जांच चल रही है।

अलग-अलग ब्रांड के 7 हजार रैपर मिले हैं...

नकली शराब बनाने के लिए 700 लीटर स्प्रिट मिला है। 64 कार्टन नकली देशी शराब, 450 पव्वे अंग्रेजी शराब, एसेंस केमिकल की बोतल, पैकिंग मशीन, खाली ड्रम, 10 हजार ढक्कन, 7 हजार से ज्यादा अलग ब्रांड की शराब के रैपर मिले हैं।

कार्टन के हिसाब से ही तय करते थे रेट और शराब ठेकों से मुनाफा

आरोपी मानसिंह व महेश मीणा जयपुर शहर के शराब ठेकों में भी नकली शराब बनाकर सप्लाई करते थे। आरोपी देशी शराब के कार्टून पर 800 रुपए और अंग्रेजी शराब के कार्टून पर 1000 तक का मुनाफा कमाते थे।

हम लगातार नशे और मिलावट पर कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं भी संदिग्ध गतिविधि लगे तो 100 नंबर, नजदीकी थाने या एडि. डीसीपी विमल के मोबाइल नंबर 9829394435 पर सूचना दें।
-आनंद श्रीवास्तव, पुलिस कमिश्नर

सरकारी फैक्ट्रियों से लाते थे नकली शराब के लेबल

सीआइयू ने नींदड़ में पकड़ा था नकली शराब बनाने का कारखाना

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

नकली शराब के कारखाने से पकड़े गए लेबल एवं शराब बनाने के उपकरण। पुलिस ने यहां एक दिन पहले छापा मारा था।

जयपुर. हरमाड़ा इलाके में शराब बनाने का कारोबार एक साल से चल रहा था। सरगना मान सिंह ने बांसवाड़ा में सप्लाई का नेटवर्क तैयार कर रखा था। यहां तो वह सिर्फ नकली शराब तैयार होने पर उसे लेने आता था। महेश को कच्चा माल उपलब्ध करवा देता था। छोटी-छोटी खेप के तौर पर जयपुर व आस-पास के इलाकों में भी सप्लाई करता, लेकिन उसकी असली कमाई गुजरात बॉर्डर से हो रही थी। आरोपियों के विरुद्ध अंग्रेजी शराब के अधिकृत प्रतिनिधि ने भी पुलिस को कॉपीराइट एक्ट की शिकायत दी है।

बहरोड़, गंगानगर से लाए लेबल

मुख्य सरगना ने पूछताछ में बताया कि वह शराब की बोतलों पर लगने वाले लेबल बहरोड़ स्थित ग्लोबस स्प्रिट लिमिटेड और गंगानगर शुगर मिल से लाता था। अब पुलिस यह भी पता लगा रही है कि सरकार की ओर से अधिकृत इन जगहों से आरोपी को लेबल कैसे मिले हैं। यहां के कर्मचारी या अन्य लोगों की मिलीभगत तो नहीं रही। पुलिस को मौके से बड़ी मात्रा में लेबल व बोतलें मिली हैं, जोकि किसी ने किसी अधिकृत एजेंसी से ही ली गई होंगी।

बिना लाइसेंस मिल रही थी स्प्रिट: एडीसीपी विमल सिंह ने बताया कि स्प्रिट की इतनी बड़ी खेप बिना लाइसेंस के मिल नहीं सकती है। आरोपी के कारखाने से 700 लीटर स्प्रिट बरामद की है। पूछताछ में उसने पानीपत से स्प्रिट लाना बताया है। पुलिस आरोपियों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने वालों की जानकारी जुटा रही है।

आबकारी विभाग,जयपुर सो रहा गहरी नींद में,विभाग का बड़ा लवाजमा,आबकारी विभाग के साथ आबकारी पुलिस भी

जहाँ एक और पुलिस विभाग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है वहीँ दूसरी और आबकारी विभाग गहरी नींद में सो रहा है|जबकि गौर करने वाली बात यह है कि आबकारी विभाग में आबकारी निरीक्षकों के अलावा आबकारी थाने का भी अतिरिक्त जाब्ता मौजूद है|परन्तु इन दोनों विभागों ने जयपुर में नकली शराब बनाने वालों पर कोई बड़ी कार्यवाही की हो,ऐसा कभी देखने और सुनने में नहीं आया है|

देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

जवाब दो!!! सरकार...

www.jawabdosarkar.com

देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

E-Newsletter, Issued in Public Interest

कर्तव्यपरायणता बनाम डील?

शराब में मिलावट करते दो जनों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के बावजूद आबकारी विभाग शराब की दूकान का लाईसेंस निरस्त क्यों नहीं कर रहा?

कानून का राज? या बाप का राज?

कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे अशोक बैरवा की पत्नी आशा देवी की दूकान पर आबकारी विभाग ने औचक निरिक्षण कर,कार्यवाही को दिया अंजाम

दिनांक 03/11/2019 को रविवार के दिन, आबकारी निरीक्षक श्रीमति इंदु यादव द्वारा जयपुर ग्रामीण के सहायक आबकारी अधिकारी श्री गौरव मणि जौहरी के दिशा-निर्देशों में प्रातः 10 से 11 बजे के आस पास सांगानेर क्षेत्र के जोन-11 में स्थित कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे अशोक बैरवा की पत्नी लाईसेंसी आशा देवी की शिप्रा पथ,मानसरोवर स्थित अंग्रेजी शराब की दूकान का औचक निरिक्षण किया|सूत्रों के अनुसार आबकारी निरीक्षक श्रीमति इंदु यादव ने दो व्यक्तियों नरेन्द्रसिंह व अन्य को रॉयल स्टेग,इम्पीरियल ब्लू,ब्लेंडर प्राइड व अन्य ब्रांडों की नकली शराब बनाते/शराब में पानी मिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा था,मौके पर उन्हें शराब के 100 से 200 के बीच उपरोक्त ब्रांडेड शराब के नए ढक्कन मय सील,खाली बारदाना और बड़ी मात्रा में पानी भी जब्त किया था,इन सामग्रियों का उपयोग कर, दोनों व्यक्ति पानी/अन्य रसायन/छोटे ब्रांड की शराब को बारदाने में भर कर ढक्कन मय सील का उपयोग करके मिलावटी शराब बना रहे थे,इन दोनों व्यक्तियों को आबकारी निरीक्षक श्रीमति इंदु यादव और सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री गौरव मणि जौहरी मौके से गिरफ्तार कर आबकारी कार्यालय ले आये,वह

लाईसेंसी आशा देवी की शिप्रा पथ,मानसरोवर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा,302012 मोबाइल:-9828346151 पेज

जिनको पकड़ते है उन्हें भी ले-दे कर छोड़ देते है|

आबकारी विभाग को भ्रष्टाचार दीमक की तरह चाट रहा है,अलबत्ता यह विभाग नकली शराब के प्रकरण बनाता नही है और यदा कदा बनाता भी है तो केवल शराब ठेकेदारों से वसूली करने और उनको सबक सिखाने के लिए|जब इन भ्रष्ट अधिकारियों को किसी शराब ठेकेदार से बदला लेना होता है तो खुद ही हरियाणा ब्रांड के पव्वे दूकान पर रख कर दबिश दे देता है और जब किसी को बचाना होता है तो नकली शराब बनाने वाले को भी कागजी खानापूर्ति कर क्लीन चिट दे देता है|आबकारी अधिकारियों की यह करतुत एक नहीं अनेकों प्रकरणों में सामने आई है|

हम भी उजागर कर चुके है आबकारी अधिकारियों की करतुते,परन्तु विभाग बन रहा है धृतराष्ट्र

आबकारी विभाग जयपुर में चल रहे गुंडाराज का हमारे द्वारा कई बार खुलासा किया जा चूका है परन्तु उपर तक सेटिंग होने की वजह से इन अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं होती बल्कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज होने चाहिए थे उन्हें प्रमोशन पर प्रमोशन दिए जा रहे है और नकली शराब बनाकर,आमजन की जिन्दगी से खिलवाड़ करने वाले खुलेआम विभाग की नाक के नीचे अपना गैरकानूनी धंधा संचालित कर रहे है|

जयपुर आबकारी में 2 महीने में DEO सहित सभी निरीक्षकों के तबादले हो चुके है एक मात्र गौरव मणि जौहरी टीके है कई सालों से,गौरव मणि जौहरी के पास सह जिला आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर दोनों का चार्ज

आबकारी विभाग जयपुर में वर्तमान में सह जिला आबकारी अधिकारी के रूप में श्री गौरव मणि जौहरी तैनात है,पंरतु हैरत की बात यह है कि पिछले 2 महीनों में यहाँ पर तैनात DEO से लेकर आबकारी निरीक्षकों का तबादला दुसरे शहरों पर हो चूका है परन्तु अपने रसुखातों और पैसों के बल पर इनके पास जयपुर ग्रामीण का ही नहीं बल्कि जयपुर शहर के सह जिला आबकारी अधिकारी का चार्ज भी संभाले हुए है|ऐसे में जबकि पूरा स्टाफ नया है यह महाशय अपनी काबिलियत बखूबी निभा रहे है| श्री गौरव मणि जौहरी कई बरसों से जयपुर में ही आबकारी निरीक्षक रह चुके है,केवल इसलिए इन्हें विभाग की दाई-बाई माना जाता है|पिछले माह ही उनके द्वारा पुरानी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे श्री अशोक बैरवा की दूकान पर नकली शराब बनाते दो व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा था,परन्तु सांठ गाँठ हो जाने से आज तक उसको ना तो सील किया गया और ना ही उसका लाईसेंस निरस्त किया गया|सुनने में आया है कि इस मामले में भी दुकान के संचालक ठेकदार से सेवाएं लेकर पूर्व मंत्रीजी को ओबलायिज कर दिया गया है|

जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के जिला आबकारी अधिकारी नये,कार्यवाही करने का दारोमदार सह जिला आबकारी अधिकारी पर

आबकारी विभाग में सह जिला आबकारी अधिकारी का पद काफी महत्वपूर्ण होता है,जिस पर विभाग के सीनियर अधिकारी को लगाया जाता है|जयपुर शहर में यह पद रिक्त है जिसका अतिरिक्त चार्ज श्री गौरव मणि जौहरी के पास है|ऐसे में नकली शराब के प्रकरणों में इनकी भूमिका को नजरअंदाज नही किया जा सकता|

पहले भी विवादों में रहे है जौहरी,आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेडा को दबाव में लेकर पास करवाई थी गलत लोकेशन

इससे पहले श्री गौरव मणि जौहरी द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 में जयपुर आबकारी,ज़ोन-6 में स्थित लाईसेंसी राजेन्द्र कुमार की दूकान नियमविरुद्ध तरीके से स्कूल परिसर के 200 मीटर अंदर होने के बावजूद तत्कालीन आबकारी निरीक्षक श्रीमति प्रियंका खेडा से जबरन,दबाव देकर पास करवाई थी|जिसकी शिकायत तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी श्री राजेश वर्मा से करने पर उनके द्वारा अगले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इस दूकान का लाईसेंस निरस्त कर दिया था,परन्तु वह भी श्री गौरव मणि जौहरी के रसुखातों के चलते उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पाए थे|

जवाब मांगते सवाल?

आखिर अधिकारियों के इतने बड़े लवाजमे के बावजूद नकली शराब की खपत कैसे हो जाती है?आखिर कौन शराब ठेकेदार है जो इन नकली शराब बनाने वालों से माल खरीदते है?आखिर कौन लोग है जो इनको नकली बारदाना सप्लाई करते है?आखिर कौन भ्रष्ट अधिकारी है जो नकली शराब को भी पैसे लेकर छोड़ देते है?आखिर वह कौनसी दुकाने है जहाँ यह नकली शराब खपाई जा रही है|

नकली शराब सेवन से होने वाली दुखान्तिकाओं का जिम्मेदार कौन?

अफसरों की मिलीभगत से नकली शराब बनाने के कई कारखाने जयपुर सहित राज्य केछोटे-बड़े शहरों में संचालित है|अखबारों की ख़बरों से पता चलता है कि केवल देशी शराब में ही मिलावट नहीं की जा रही बल्कि अंग्रेजी शराब के कई महंगे ब्रांडों की भी नकली शराब बनायीं जा रही है|जिससे गरीबों के साथ साथ अमीरों पर भी नकली शराब से होने वाली दुखान्तिकाओं का खतरा मंडरा रहा है|आखिर कब तक सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाती रहेगी? क्या इन भ्रष्ट अधिकारियों का कलेजा नहीं काँपता,जब ऐसी दुर्घटनाएं होती है?

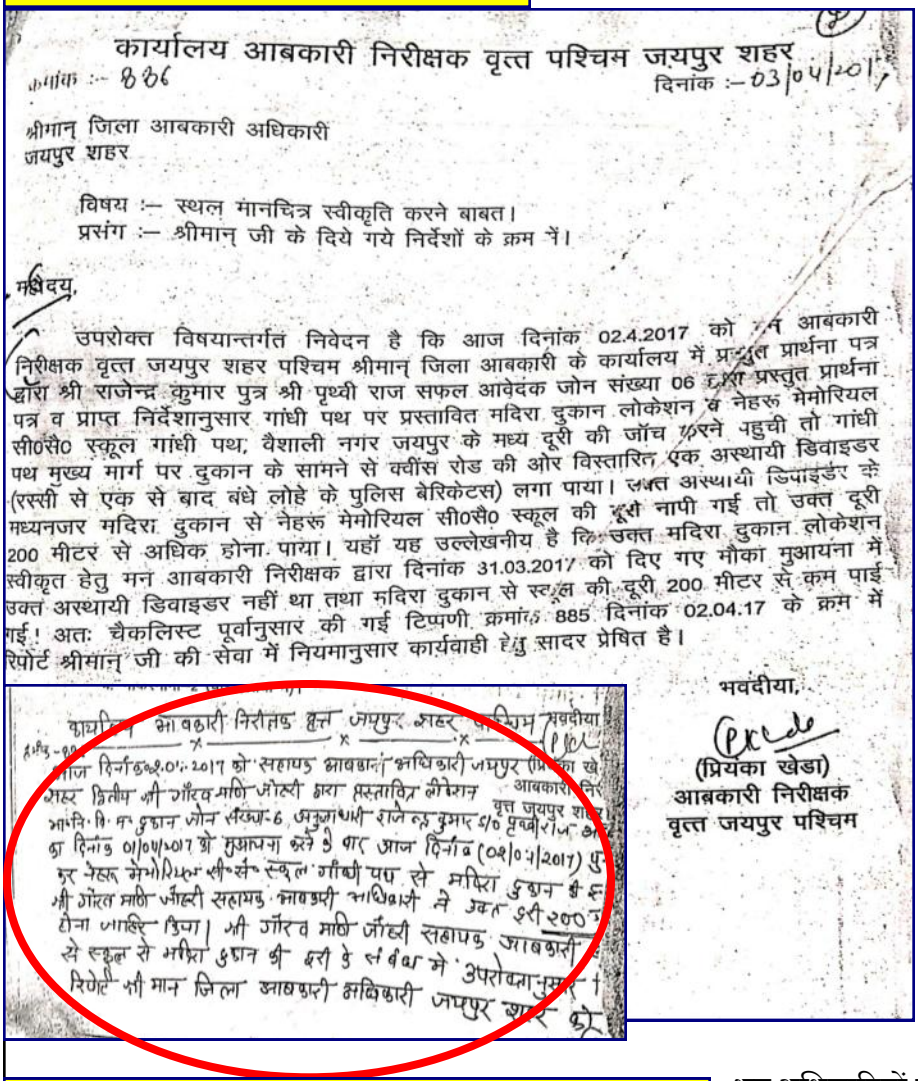

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त पश्चिम जयपुर शहर

क्रमांक :- 886 दिनांक :- 03/04/2017

श्रीमान् जिला आबकारी अधिकारी
जयपुर शहर

विषय :— स्थल मानचित्र स्वीकृति करने बाबत।
प्रसंग :— श्रीमान् जी के दिये गये निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आज दिनांक 02.4.2017 को मैं आबकारी निरीक्षक वृत्त जयपुर शहर पश्चिम श्रीमान् जिला आबकारी के कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री पृथ्वी राज सफल आवेदक जोन संख्या 06 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्राप्त निर्देशानुसार गांधी पथ पर प्रस्तावित मदिरा दुकान लोकेशन व नेहरू मेमोरियल सी0सै0 स्कूल गांधी पथ, वैशाली नगर जयपुर के मध्य दूरी की जॉच करने पहुची तो गांधी पथ मुख्य मार्ग पर दुकान के सामने से क्वींस रोड की ओर विस्तारित एक अस्थायी डिवाइडर (रस्सी से एक से बाद बंधे लोहे के पुलिस बेरिकेटस) लगा पाया। उक्त अस्थायी डिवाइडर के मध्यनजर मदिरा दुकान से नेहरू मेमोरियल सी0सै0 स्कूल की दूरी नापी गई तो उक्त दूरी 200 मीटर से अधिक होना पाया। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि उक्त मदिरा दुकान लोकेशन स्वीकृत हेतु मन आबकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 31.03.2017 को दिए गए मौका मुआयना में उक्त अस्थायी डिवाइडर नहीं था तथा मदिरा दुकान से स्कूल की दूरी 200 मीटर से कम पाई गई। अतः चैकलिस्ट पूर्वानुसार की गई टिप्पणी क्रमांक 885 दिनांक 02.04.17 के क्रम में रिपोर्ट श्रीमान् जी की सेवा में नियमानुसार कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीया,

(प्रियंका खेडा)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त जयपुर पश्चिम

जिस दूकान को आबकारी निरीक्षक प्रियंका खेडा ने स्कूल के 200 मीटर दायरे के अंदर माना था उसे गौरव मणि जौहरी ने 200 मीटर से अधिक मान कर जबरन लोकेशन पास करवाई|